पंद्रह शाबान की रात को सूरत यासीन और मौलिद पढ़ना

﴿ قراءة سورة يس، والمولد ليلة النصف من شعبان ﴾

[हिन्दी - Hindi - هندي]

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति

अनुवादः **अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह**

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ قراءة سورة يس، والمولد ليلة النصف من شعبان ﴾

« باللغة الهندية »

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2010 - 1431

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत दे दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

पंद्रह शाबान की रात को सूरत यासीन और मौलिद पढ़ना

प्रश्नः

हमारे यहाँ पंद्रह शाबान की रात को लोग मस्जिदों में एकत्र होते हैं और तीन बार सूरत यासीन पढ़ते हैं, और मौलिद पढ़ते हैं ?

उत्तरः

यह बिदअतों (धर्म के अंदर गढ़ लिए गए नवाचार) में से है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमाया :

"जिस ने हमारी इस शरीअत में कोई ऐसी चीज़ ईजाद की जिस का इस से कोई संबंध नहीं है तो उसे रद्द (अस्वीकृत) कर दिया जायेगा।" इसे

बुखारी (हदीस संख्या : 2697) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1718) ने रिवायत किया है।

तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

''और धर्म में नयी ईजाद कर ली गयी चीज़ों (नवाचार) से बचो, क्योंकि (धर्म में) हर नई ईजाद कर ली गई चीज़ बिद्अत है, और हर बिद्अत गुमराही (पथ भ्रष्टता) है।'' (मुस्नद अहमद 4/126, तिर्मिज़ी हदीस संख्या : 2676).

इबादतों का आधार आदेश, प्रतिषेद्ध और आज्ञा पालन पर है, और इस काम का अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आदेश नहीं दिया है, और न तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे स्वयं किया है, और न तो खुलफा–ए–राशिदीन में से किसी ने किया है और न तो सहाबा और ताबेईन ही में से किसी ने ऐसा किया है। और मुस्लिम की एक अन्य रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :

''जिस ने कोई ऐसा काम किया जो हमारी शरीअत के अनुसार नहीं है तो उसे रद्द (अस्वीकृत) कर दिया जायेगा।''

अतः यह काम अस्वीकृत होगा जिसका खण्डन करना ज़रूरी है। क्योंकि यह उन चीज़ों में दाखिल है जिनका अल्लाह और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इनकार और खण्डन किया है। अल्लाह तआला ने फरमाया :

﴿ أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ ﴾ [الشورى:٢١]

‘‘क्या इन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के) साझी (ठहरा रखे) हैं जिन्हों ने ऐसे दीन के अहकाम निर्धारित कर दिये हैं जिन की अल्लाह तआला ने अनुमति नहीं दी है।’’ (सूरतुश्शूरा : 21)

यह उन चीज़ों में से है जिसे जाहिलों (धर्म से अनभिज्ञ लोगों) ने अल्लाह तआला के मार्गदर्शन के बिना अविष्कार कर लिया है।

आदरणीय शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह ने इस विषय पर एक पत्रिका (लेख) लिखा है जिसका शीर्षक : ‘‘**पंद्रह शाबान की रात को जश्न मनाने और इस्रा व मेराज की रात को उत्सव मनाने का हुक्म**’’ रखा है।

इफ्ता और वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के फतावा (3/63) से।